29/5/17 पत्रावली पेश कोर्ट/ वास्ते आदेश हुजूर में प्रस्तुत/ पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल अनुसार लेबर नंबर से कम हो/ निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया/

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 212/2016

1. कमला देवी पत्नी बंशीलाल गाडरी, निवासी गाडरीखेडा गांधीनगर, तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थिया

बनाम

1. कालूराम पिता छोगा मुतबन्ना हजारी गुर्जर, निवासी आमिलयों की बारी के पास माणिक्यनगर भीलवाडा
2. सुरेश पिता लक्ष्मण गुर्जर, निवासी सेशन कोर्ट के पास, गुर्जर मोहल्ला, भीलवाडा।
3. रमेश पिता लक्ष्मण गुर्जर, निवासी सेशन कोर्ट के पास, गुर्जर मोहल्ला, भीलवाडा।
4. कन्हैयालाल पिता गोवर्धन गुर्जर, निवासी सेशन कोर्ट के पास, गुर्जर मोहल्ला, भीलवाडा।
5. शंकर पिता गोवर्धन गुर्जर, निवासी सेशन कोर्ट के पास, गुर्जर मोहल्ला, भीलवाडा।
6. अमरा पिता किशना गाडरी, निवासी गाडरी खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति ललिता देवी पत्नी रमेशचन्द्र टांक, निवासी हंसा फ्लोर मिल्स, डाक बंगला रोड गांधीनगर भीलवाडा।
8. रतनी देवी पत्नी बक्षु गुर्जर, निवासी शाम की सब्जी मण्डी वीर गुर्जर मावा भण्डार के सामने आजाद मोहल्ला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 19.05.2017

प्रार्थिया के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 24.11.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल पटवार क्षेत्र पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 3423 व 3424 रकबा क्रमशः 01–08 बीघा, व 00–11 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–19 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थिया अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थिया स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पांसल पटवार क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी आराजी संख्या 3423 व 3424 रकबा क्रमशः 01–08 बीघा, व 00–11 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–19 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थिया इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/– अक्षरे दो सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा